2928

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

[redacted]

File No:- FFE-B(F)(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 2 **-03-2021**

Order

Sub:- **Diversion of 7.58 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Pangana To Majhagan Road (Kms. 0/00 to 22/500), within the the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal no. FP/HP/Road/9054/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B-HP/06/09/2018/FC/1050 दिनांक 27/08/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **7.58 hectare** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1 वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3 **प्रतिपूरक वनीकरण**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 15.16 हे0 F-43-F-7, Seri Forest Range, Block Seri पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 18.40 हे0 F-43-F-7, Seri Forest Range, Block Seri पर दण्ड़ात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिसकी स0 प्रस्ताव के अनुसार 25 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता आभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

6 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7 प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

8 सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें। S/FCA

APCCF(FCA) 4/3

PCCF(HoFF) 3/3/21

पावती सं 3991
दिनांक 05/03/21

Contd./2

9 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

10 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

11 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतितिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17 केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी।

18 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

19 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या तो 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

Contd./3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 2**-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Karsog Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Karsog, Distt. Mandi HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 2-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3703

[redacted]

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-F-2/2021 Dated Shimla-171002, the 2-03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 2.94 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Barangi to Chipni road Kms. 0/00 to 8/00), within the jurisdiction of GHNP Wildlife, Division Shamshi, Distt. Kullu, Himachal Pradesh. (FP/HP/Road/30974/2017)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्र्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/06/109/2019/298 दिनांक 11/06/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.94** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.88 है0 Tung III, WL Trithan पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें ।

ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 107 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंड़ों के अनुसार सड़क के दोनें किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के दोनों साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

APCCF (FCA) 4/3

PCCF (HoFF) 3/3/21

पावती सं 3996
दिनांक 05/03/21

Contd./2

9 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

10 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

11 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

13. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17. केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

18. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

19 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 2 **-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO GHNP Wildlife, Division Shamshi, Distt., Kullu H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Shamshi, Distt Kullu HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 2-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

[redacted]

2978

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(F)(2)-2/2021 **Dated Shimla-171002, the** 2-03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.9728 hectare of forest land in favour of M/s Neri Hydro Project Pvt. Ltd., Village Majharnoo, Tehsil Jogindernagar for the construction of 5MW, Neri Small Hydro Electric Project, within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.(online no. FP/HP/HYD/9976/2015)**

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/01/100/2019/FC/50 दिनांक 30/10/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.9728** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.00 हे0 C.No. 52 A/09, Range Kamlah, Village Sadhoti परिभ्रांषित वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 149 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे ।
5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
7. अनुमोदित परियोजना के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना लागू की जाएगी।
8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण जलाशय की परिधि के साथ वनीकरण का कार्य करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

Contd./2

SIFCA

APCCF(FCA) 4/3

PCCF(HoFF) 3/3/21

पावती सं 3992
दिनांक 05/03/21

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

13 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकित किया जाएगा।

14 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15 इस अनुमोदन में प्रत्ययावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

16 प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य वन विभाग परियोजना पर लागू सभी कानूनी आदेशों, प्रावधानों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगे।

17 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18 प्रयोक्ता अभिकरण वानिकी संबंधित गतिविधियों/परियोजनाओं हेतु मुफ्त जल उपलब्ध कराएगा।

19 भारत सरकार की पूर्वानुमति के बिना, प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं की जाएगी।

20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रुप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

22 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

23 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

24 A lease-deed of the forest land shall be executed by the User Agency with Collector-cum-Dy. Commissioner, Mandi Distt. Mandi, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Contd./3

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 2 -03-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Jogindernagar Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. M/s Neri Hydro Project Pvt. Ltd., Village Majharnoo, Tehsil Jogindernagar, Distt. Mandi, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 2-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

2244

हिमाचल प्रदेश सरकार [redacted]
वन विभाग

File No:- FFE-B(F)(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 02 -03-2021

Order

Sub:- Diversion of 3.93 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of road from Karsog to Parlog Kms. 9/0 to 19/00), under the jurisdiction of Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B-HPB/06//06/03/2015/898 दिनांक 07/08/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **3.93** हे0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2 परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3 **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 7.86 हे0 D-133 Hiroo पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें। इसके अतिरिक्त रू0 1708879/– हेतु संशोधित सी.स. स्कीम की एक प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को प्रस्तुत करें।

ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण:**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.125 हे0 D-135 Fafan पर दण्ड़ात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 04 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे ।

6 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

7 सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगें। S/FCA

APCCF(FCA) 4/3

PCCF(HOFF) 3/3/21

पावती सं 3993
दिनांक 05/03/21

Contd./2

8 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

9 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।

10 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

11 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

13 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

14 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

15 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जा भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

16 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

17 केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी।

18 The user agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls/terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per plan. Tree felling is not permitted in the muck disposal area.

19 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

Contd./3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, 2 **-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Karsog Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Karsog, Distt. Mandi HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 2-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021 Dated Shimla-171002, the 01-03-2021

Order

Sub:- Diversion of 2.50 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Har-Kas-Batohlu road (Kms. 0/00 to 5/00), under PMGSY within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के अर्न्तगत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 9-HPB.107/2012-CHA/861 दिनांक 06/08/2020 के परिणामस्वरुप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **2.50** है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करतें हैं :–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.00 है0 village Jimjima, Joginder Nagar Range पर क्षतिपूरक वनी करण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

4. **दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरणः**

क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.00 है0 village Jimjima, Joginder Nagar Range पर दण्ड़ात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी ।

ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

5 राज्य वन विभाग धनराशी रू945615/– हेतु संशेधित सी.ए. स्कीम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय को प्रेषित करेगा।

6 प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 75 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7 एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

Contd./2

S/FCA

पावती सं 3945
दिनांक ..04/03/21

APCCF (FCA)
2/3

8 सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।

9 This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, 87648 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

10 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।

11 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

12 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

13 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

14 संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

15 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

16 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जा भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।

17 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

18 केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं की जायेगी।

19 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

20 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागु होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंधन वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या तो 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

22 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

Contd./3

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, **01-03-2021**
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3 The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4 The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5 The Deputy Commissioner, Mandi, Distt., Mandi, Himachal Pradesh.
6. DFO Jogindernagar Forest Division, Distt., Mandi H.P.
7 The Ex-Engineer HPPWD Jogindernagar, Distt. Mandi HP
8 Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 1-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.